मंजू देवी

बनाम

औंकारजीत सिंह अहलूवालिया उर्फ़ ओमकारजीत सिंह और

अन्य

(2017 की आपराधिक अपील सं.570)

24 मार्च, 2017

[आर. के. अग्रवाल और अशोक भूषण, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा-438- उत्तरदाताओं को, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354 तथा 452 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा3(1)(xi) के अंतर्गत अपराध का आरोप है, अग्रिम जमानत प्रदान की गई – शिकायतकर्ता द्वारा अपील – अभिनिर्धारित: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में संहिता की धारा438 का प्रावधान उपलब्ध नहीं – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विनिर्दिष्ट अपराध एक पृथक एवं विशिष्ट श्रेणी के अपराध हैं – उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत प्रदान करना गम्भीर त्रुटि – भारतीय संविधान – अनुच्छेद.17 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – धारा3(1)(xi).

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,, 1989:

धारा 18 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(अग्रिम जमानत) का अपवर्जन – धारा 18 को अधिनियम में सम्मिलित करने का उद्देश्य – अभिनिर्धारित: इस अपवर्जन को उन विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है, जिनसे ऐसे अपराध उत्पन्न होते हैं, तथा इस आशंका के परिप्रेक्ष्य में कि यदि अपराधियों को अग्रिम जमानत की सुविधा मिल जाए, तो वे पीड़ितों को धमकाने, भयभीत करने या अभियोजन में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं।

धारा3(1)(xi) – धारा3(1)(xi) एवं धारा 354 भारतीय दंड संहिता के मध्य अंतर – भारतीय दंड संहिता 1860 – धारा 354.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित: 1.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाओं को रोका जा सके तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा सके, साथ ही ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया जा सके। यह निःसंदेह सत्य है कि संहिता की धारा 438, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के संबंध में अभियुक्त को उपलब्ध होती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, के अंतर्गत अपराधों के संबंध में उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध एक पृथक एवं विशेष श्रेणी में आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' के उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके अभ्यास को

निषिद्ध करता है, और यह भी प्रावधान करता है कि 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न किसी भी प्रकार की अपंगता का प्रवर्तन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, की धारा 3(1) में विनिर्दिष्ट अपराध 'अस्पृश्यता' की प्रथा से उत्पन्न होते हैं। 'हरिजन', 'धोबी' आदि शब्दों का प्रयोग तथाकथित उच्च जातियों के लोगों द्वारा प्रायः अपमान, तिरस्कार एवं उपहास के रूप में किया जाता है। किसी व्यक्ति को इन नामों से पुकारना आजकल अपमानजनक भाषा मानी जाती है तथा यह आक्रामक है। वर्तमान समय में इन शब्दों का प्रयोग जाति सूचक के रूप में नहीं, बल्कि किसी को जानबूझकर अपमानित एवं अपहेलित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आज किसी भी समुदाय का अपमान या अवमूल्यन नहीं होना चाहिए और किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। [कंडिका 11,12 और 14] [709 - बी-सी; 711-बी-सी; 712-एफ-जी]

2. हालाँकि भारत का संविधान ' अस्पृश्यता ' को समाप्त कर देता है लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ इस तरह के अपराधों का कारण बनने वाले सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, इस आशंका का औचित्य है कि यदि उन व्यक्तियों को अग्रिम जमानत का लाभ उपलब्ध कराया जाता है जिन पर इस तरह के अपराध करने का आरोप है, तो अग्रिम जमानत पर रहते हुए उनकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग अपने पीड़ितों को आतंकित करने और उचित जांच को रोकने के लिए होने की पूरी संभावना है। इसी संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में धारा 18 को शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 के तहत जिन अपराधों की गणना की गई है, वे ऐसे अपराध हैं जो समाज की नजर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों

को बदनाम करते हैं और उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान का जीवन जीने से रोकते हैं। इस तरह के अपराध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपमानित करने और अधीन करने के लिए किए जाते हैं ताकि उन्हें दासता की स्थिति में रखा जा सके। ये अपराध एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और दंड संहिता के तहत अपराधों के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है।[कंडिका 15] [712-एच; 713-ए-सी]

3.1 यह स्पष्ट है कि दंडाधिकारी ने शिकायत तथा शिकायतकर्ता के कथन का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उत्तरदाताओं के विरुद्ध एक *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है, जिसे सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण में भी कायम रखा गया और उच्च न्यायालय में भी पुष्टि हुई। यह दलील कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण है तथा उत्तरदाता सं. 1 के भाई द्वारा प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से की गई है, संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने के चरण पर विचार योग्य नहीं है, और किसी मामले की *दुर्भावना* या *सद्भावना* होने की जांच केवल विचारण के समय ही की जा सकती है। [कंडिका 19] [714-एफ-जी]

3.2 छेड़छाड़ एवं अपमान की शिकार पीड़िता उसी स्थिति में होती है जिस प्रकार एक पीड़ित साक्षी होता है, और उसकी साक्ष्य को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। तत्काल मामले में, अभिलेख पर सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पाया है कि उत्तरदाताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए एक *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi), जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिला के प्रति उसकी लज्जा भंग करने या उसका अपमान करने के आशय से आक्रमण या बल के प्रयोग से संबंधित है, अपराध का एक

गंभीर रूप है। धारा 3(1)(xi) और धारा 354 के बीच मुख्य अंतर मूलतः पीड़िता की जाति या जनजाति से संबंधित है। यदि पीड़िता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो धारा 3(1)(xi) लागू होगी। एक अन्य अंतर यह है कि धारा 3(1)(xi) में ऐसी पीड़िता का अपमान भी अपराध बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18, संहिता की धारा 438 के प्रावधानों के प्रयोग पर रोक लगाती है, और उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत प्रदान करना गंभीर त्रुटि है। [कंडिका 20,21] [714-एच; 715-ए-बी]

विलास पांडुरंग पवार और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **(2012) 8 एस. सी. सी. 795:[2012] 8 एस. सी. आर. 270;** *बचू दास बनाम बिहार राज्य और अन्य* **(2014) 3 एससीसी 471:[2014] 2 एस. सी. आर. 287-निर्भर।**

जय सिंह और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य एयर 1993 राज .177 - – **स्वीकृत किया गया।**

निर्मल जीत कौर बनाम एम. पी. राज्य और एक अन्य **(2004) 7 एस. सी. सी. 558 [2004] 3 पूरक एससीआर 1006- लागु नहीं किया गया। अप्रयोज्य।**

<u>वाद विधि का संदर्भ</u>

[2012] 8 एससीआर 270	**भरोसा किया**	**कंडिका 16**
[2014] 2 एससीआर 287	**भरोसा किया**	**कंडिका 16**
[2001] 3 एससीआर 1103	**भरोसा किया**	**कंडिका 16**
ए एयर 1993 राज . 177	**अनुमोदित किया**	**कंडिका 17**

[2004] 3 पूरक .एस. सी. आर. 1006 अप्रयोज्य कंडिका 18

आपराधिक याचिका क्षेत्राधिकार: 2017 की आपराधिक अपील संख्या 570

दिनांक 03.12.2014 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा *आपराधिक विविध वाद संख्या 25561 2014* में पारित निर्णय तथा आदेश से।

ए. शरण, श्रीमती अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता।, संजीव कुमार, एच. के. नाइक, रजनीश, अजय अमृत राज, पी. एस. नेरवाल, हिमांशु शेखर, अभिनवे मुखर्जी, सिद्धार्थ गर्ग, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, संचित, सुश्री स्वाति, सुश्री आंचल दुता, सुमन ज्योति खेतान, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

आर. के. अग्रवाल, न्ययाधीश, अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपील दिनांक 03.12.2014 को पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा 2014 की आपराधिक विविध वाद संख्या 25561 में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 323, धारा 354 तथा धारा 452 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम') की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत अपराध के आरोपित हैं, अग्रिम जमानत प्रदान की थी।"

3. **संक्षिप्त तथ्यः**

(ए) 04.05.2009 को, मंजू देवी—वर्तमान अपीलकर्ता—शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय के न्यायालय में शिकायत वाद संख्या 1079 सी/09

दायर किया, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 354 तथा 452 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत था, यह कहते हुए कि घटना के दिन, अर्थात 18.04.2009 को लगभग 3:00 बजे अपराह्न, उत्तरदाता उसके आवास में घुस आए और उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उसे पकड़ लिया। जब वर्तमान अपीलकर्ता किसी प्रकार उनके चंगुल से निकलने में सफल हुई, तब उत्तरदाताओं ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को उनकी जाति के आधार पर 'हरिजन' एवं 'धोबी' कहकर अपमानित किया और उक्त घटना को बाहर प्रकट करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

(बी) उपर्युक्त शिकायत के आधार पर प्राथमिकी संख्या 65109 दर्ज की गई, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 354 तथा 452 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत थाना–सदर, बेगूसराय में पंजीकृत हुई।

(सी) जाँच के बाद, पुलिस ने उसी में एक समापन प्रतिवेदन दायर की। हालांकि, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय प्रतिवेदन से असंतुष्ट, दिनांक 20.03.2013 के आदेश के माध्यम से, भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और उत्तरदाताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई।

(डी) दिनांक 20.03.2013 के आदेश से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय के समक्ष आपराधिक संशोधन संख्या 310/2013 को दायर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय, सी ने दिनांक 14.12.2013 के आदेश के

माध्यम से, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय द्वारा पारित दिनांक 20.03.2013 के आदेश की पुष्टि की।

(इ) उत्तरदाताओं ने दिनांकित 14.12.2013 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की आपराधिक विविध वाद संख्या 12468 को दायर किया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, दिनांकित 25.03.2014 के आदेश के माध्यम से, ने दिनांक 14.12.2013 के आदेश की पुष्टि की। उत्तरदाताओं ने अग्रिम जमानत के लिए 2014 की सं. 25561 के आपराधिक विविध को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 03.12.2014 के आदेश के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बेगूसराय की संतुष्टि के लिए उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत प्रदान की।

(एफ) दिनांकित 03.12.2014 आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता ने इससे पहले विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।

4. इसमें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार और उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. शरण को सुना।

विचारणीय बिंदु:

5. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत देना उचित ठहराया था?

प्रतिद्वन्द्वी तर्क:

6. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने, अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों अर्थात शिकायत, शिकायतकर्ता के कथन तथा अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायसंगत नहीं था, विशेषकर दिनांक 14.12.2013 के आदेश में बेगूसराय के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्षों के आलोक में। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया कि उक्त बिंदु पर स्पष्ट निष्कर्षों के होते हुए उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित नहीं था।

7. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं क्योंकि अपीलकर्ता प्रासंगिक समय पर नौकरानी के रूप में काम कर रहा था और उत्तरदाता संख्या 1 और उनके भाई के बीच लंबे समय से लंबित विवाद के कारण उनके बीच मतभेद को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि जिस दिन से यानी 03/12/2014 से उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी, उस दिन से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी और उत्तरदाताओं ने जांच अधिकारी के साथ सहयोग किया था। यह आगे तर्क दिया गया कि उपरोक्त परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत देने में सही था और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं मांगा गया था।

विचार-विमर्श:

8. शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है और संबंधित समय में एक नौकरानी के रूप में काम कर रही था। उत्तरदाताओं ने शिकायतकर्ता की लज्जा भंग करने के लिए उसके घर में प्रवेश किया और उसे पकड़ लिया। जब शिकायतकर्ता ने उनके कृत्यों का विरोध किया, तो उत्तरदाताओं ने उसे जबरन फर्श पर धकेल दिया और उसे गंदे शब्दों से गाली देना शुरू कर दिया कि

"तुम 'हरिजन', 'धोबन', तुम हमारे बचे हुए हिस्से पर जीवित रहते हो और तुम हमारे प्रति रवैया दिखाते हो। आप 'हरिजन' लोगों का रवैया बहुत ऊँचा हो गया है और आज तुम्हे पूरी तरह नष्ट कर दिया जायेगा। शिकायत में आगे यह उल्लेख किया गया था कि उत्तरदाताओं ने घटना के बारे में किसी को भी बताने की स्थिति में जगह छोड़ने से पहले उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

9. तदनुसार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2013 के आदेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया। बेगूसराय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह पाते हुए कि दिनांक 20.03.2013 का आदेश पारित करते समय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी, उक्त आदेश की पुष्टि की, जिसे आगे चलकर उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 25.03.2014 के आदेश द्वारा पुष्टि प्रदान की गई।

10. इस पृष्ठभूमि में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 को उद्धृत करना उपयुक्त होगा जो इस प्रकार हैः .

"18. संहिता की धारा 438 के प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे.— संहिता की धारा 438 में निहित कोई भी बात ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी जिसमें किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना हो।"

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम को अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के आयोग को रोकने के लिए लागू किया गया था और अनुसूचित जनजाति और उक्त अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे के लिए विशेष

अदालतों का प्रावधान करने के साथ-साथ ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास का भी प्रावधान करना। उक्त अधिनियम की धारा 2 के तहत अत्याचार को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 3 (1) निम्नलिखित रूप में प्रदान करता हैः

> ***"3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड।—*** (1) जो भी हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने के कारण-
>
> (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को कोई अखाद्य या अप्रिय पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना;
>
> (ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को उसके परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ, शव या कोई अन्य अप्रिय पदार्थ फेंककर चोट, अपमान या झुंझलाहट पैदा करने के इरादे से कार्य करना;
>
> (iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के कपड़े जबरन उतारना या उसे नग्न या चित्रित चेहरे या शरीर के साथ घुमाना या ऐसा ही कोई कार्य करना, जो मानव गरिमा के लिए अपमानजनक है;
>
> (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व वाली या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित या अधिसूचित किसी भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है या खेती करता है या उसे आवंटित भूमि का हस्तांतरण कराता है;
>
> (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल कर देता है या किसी भूमि, परिसर या पानी; पर उसके अधिकारों के आनंद में हस्तक्षेप करता है।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा लगाए गए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी भी अनिवार्य सेवा के अलावा 'बेगार' या इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन या बंधुआ श्रम करने के लिए मजबूर या लुभाता है;

(vii) अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को मजबूर करता है या डराता है या अनुसूचित जनजाति को किसी विशेष उम्मीदवार को मतदान करने या मतदान न करने या कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा अन्य तरीके से मतदान करने के लिए;

(viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाला मुकदमा या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही स्थापित करता है।

(ix) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी लोक सेवक को कोई झूठी या तुच्छ जानकारी देता है और इस तरह ऐसे लोक सेवक को अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग किसी सदस्य को चोट पहुँचाने या परेशान करने के लिए करता है।

(x) सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराना;

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी महिला पर हमला या बल प्रयोग करना या उसे अपमानित करने या उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से ;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होना और उस स्थिति का उपयोग उसका यौन शोषण करने के लिए करना जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती;

(xiii) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले किसी झरने, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के पानी को दूषित या दूषित करता है ताकि इसे उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त बनाया जा सके जिसके लिए इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है;

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य सार्वजनिक सैरगाह के स्थान पर जाने का कोई प्रथागत अधिकार या ऐसे सदस्य को बाधित करता है ताकि उसे सार्वजनिक सैरगाह के उस स्थान का उपयोग करने या उस तक पहुँचने से रोका जा सके जिस पर जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी वर्ग को उपयोग या पहुँच;अधिकार है, वंचित करता है-

(xv) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपना घर, ग्राम या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है या मजबूर करता है, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकते हैं और पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

12. यह निस्संदेह सच है कि संहिता की धारा 438, जो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के संबंध में एक आरोपी के लिए उपलब्ध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गिने गए अपराध

एक अलग और विशेष वर्ग में आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से इसके उन्मूलन से संबंधित है - "अस्पृश्यता 'और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को मना करता है और यह भी प्रावधान करता है कि' अस्पृश्यता 'से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) के तहत गिने जाने वाले अपराध 'अस्पृश्यता' की प्रथा से उत्पन्न होते हैं। यह इस संदर्भ में है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें धारा 18 के तहत विवादित प्रावधान भी शामिल है जो हमारे सामने है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में संहिता की धारा 438 के बहिष्करण को मौजूदा सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो इस तरह के अपराधों को जन्म देते हैं, और इस आशंका के साथ कि इस तरह के अत्याचार के अपराधी अपने पीड़ितों को धमकी और डराने-धमकाने की संभावना रखते हैं और यदि अपराधियों को अग्रिम जमानत का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है तो इन अपराधियों के अभियोजन में उन्हें रोक सकते हैं या बाधा डाल सकते हैं।

13. इस संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करना उचित है जो निम्नानुसार हैः

> "सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति कमजोर बनी हुई है। उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। वे विभिन्न अपराधों, अपमान, तिरस्कार और उत्पीड़न के अधीन हैं। उन्हें कई क्रूर घटनाओं में

उनके जीवन और संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से गंभीर अपराध किए जाते हैं।

2. "शिक्षा आदि के प्रसार के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच बनाई गई जागरूकता के कारण, वे अपने अधिकारों का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों द्वारा इसे बहुत दयालुता से नहीं लिया जा रहा है। जब वे अपने अधिकारों का दावा करते हैं और अपने खिलाफ अस्पृश्यता की प्रथाओं का विरोध करते हैं या वैधानिक न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं या किसी भी बंधुआ और जबरन श्रम करने से इनकार करते हैं, तो निहित स्वार्थ उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां अपने आत्मसम्मान या अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने का प्रयास करती हैं, तब वे प्रभुत्वशाली एवं शक्तिशाली वर्ग के लिए "उपद्रव" प्रतीत होने लगती हैं। सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कब्ज़ा या खेती भी अक्सर नापसन्द किया जाता है, और अनेक बार ये लोग स्वार्थी तत्वों के हमलों के शिकार बन जाते हैं। बीते समय में इस बात का अत्यन्त चिंताजनक बढ़ता हुआ रुझान देखा गया है कि कुछ प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं—जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मानव मल जैसे अयोग्य पदार्थ खाने के लिए विवश करना, असहाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हमले एवं सामूहिक हत्याएँ, तथा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार। ऐसी परिस्थितियों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे प्रचलित कानून एवं भारतीय दंड संहिता के साधारण प्रावधान इन अपराधों को रोकने में अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। अतः, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध, विशेषतः गैर-अनुसूचित जाति एवं गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले इन अपराधों पर रोक लगाने और उन्हें निरुत्साहित करने हेतु एक विशेष विधि की आवश्यकता अनिवार्य हो गई थी।

3. 'अत्याचार' शब्द को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। यह आवश्यक माना जाता है कि न केवल 'अत्याचार' शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए, बल्कि इस तरह के अत्याचारों के लिए उच्च दंड का प्रावधान करने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पीड़ित होने से बचाने के लिए विशिष्ट निवारक और दंडात्मक उपाय करने का आदेश देने का भी प्रस्ताव है उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त राहत और सहायता प्रदान करने के लिए अत्याचार किए जाते हैं।

14. उपरोक्त संदर्भ में अब मामले का तथ्यात्मक विवरण को समझना आसान हो गया है। 'हरिजन' 'धोबी' आदि शब्द का उपयोग अक्सर तथाकथित उच्च जातियों के लोग अपमान, दुर्व्यवहार और उपहास के शब्द के रूप में करते हैं। किसी व्यक्ति को इन नामों से बुलाना आजकल एक अपमानजनक भाषा है और आपत्तिजनक है। इसका उपयोग मूल रूप से आजकल किसी जाति को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि

जानबूझकर किसी का अपमान और अपमान करने के लिए किया जाता है। हम, इस देश के नागरिक होने के नाते, अपने मन और हृदय में सदैव यह बात संजोकर रखें कि आज किसी भी व्यक्ति या समुदाय का अपमान न किया जाए, न ही उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाए, और न ही किसी की भावनाओं को आहत किया जाए।

15.यद्यपि भारतीय संविधान 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है, किन्तु उन सामाजिक दृष्टिकोणों को देखते हुए, जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध ऐसे अपराधों के घटित होने का कारण बनते हैं, यह आशंका औचित्यपूर्ण है कि यदि ऐसे आरोपित व्यक्तियों को अग्रिम जमानत का लाभ उपलब्ध करा दिया जाए, तो वे अग्रिम जमानत पर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर पीड़ितों को आतंकित कर सकते हैं तथा समुचित अन्वेषण को बाधित कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में धारा 18 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में सम्मिलित की गई है। धारा 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध ऐसे अपराध हैं जो कम-से-कम समाज की दृष्टि में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का अवमूल्यन करते हैं तथा उन्हें गरिमा एवं आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने से रोकते हैं। ऐसे अपराध अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपमानित एवं अधीन करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, ताकि उन्हें दासत्व जैसी अवस्था में बनाए रखा जा सके। ये अपराध अपनी एक पृथक श्रेणी बनाते हैं और इनकी तुलना दण्ड विधि के अंतर्गत अपराधों से नहीं की जा सकती।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ***विलास पांडुरंग पवार और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*** (2012) 8 एस. सी. सी. 795 के मामले में इस

न्यायालय के फैसले को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> **"9** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 संहिता की धारा 438 को लागू करने के लिए एक प्रतिबंध बनाती है। हालाँकि, शिकायत में किए गए कथनों को सत्यापित करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनाया गया है, न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला गया है। दूसरे शब्दों में, यदि शिकायत में कोई विशिष्ट कथन है, अर्थात् अपमान या धमकी, फोन करके जाति नाम के साथ, अपमानित करने के इरादे से है फिर, अभियुक्त व्यक्ति अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं।
>
> **10.** संहिता की धारा 438 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 का दायरा ऐसा है कि यह अग्रिम जमानत देने में एक विशिष्ट बाधा पैदा करता है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो कोई भी न्यायालय अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि उसे प्रथम दृष्टया यह पता न चले कि ऐसा अपराध नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, साक्ष्य और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री की सराहना की गुंजाइश सीमित है। न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अभिलेख पर

उपलब्ध साक्ष्यों का अत्यधिक आलोचनात्मक विश्लेषण करे। जब किसी विशेष अधिनियम में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया हो और धारा 438 के तहत जमानत (अग्रिम जमानत) प्रदान करने पर निषेध लगाया गया हो, तब ऐसे विशेष अधिनियम के प्रावधानों को विस्तृत साक्ष्य-चर्चा द्वारा सरलता से निरस्त नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण इस न्यायालय ने **बचू *दास बनाम बिहार राज्य और अन्य*** (2014) 3 एस. सी. सी. 471 में भी किया है।

17. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के संबंध में इसी प्रकार का दृष्टिकोण राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ***जय सिंह और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** ए. आई. आर. 1993 राज 177 में अपनाया है, जिसमें यह कहा गया कि जिस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से हम यहाँ सम्बद्ध हैं, उसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों की रोकथाम करना है। यद्यपि दोनों अधिनियम (पूर्ववर्ती तथा वर्तमान) अपने क्षेत्र में भिन्न हो सकते हैं, परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा वर्ष 1988 तक सहन की गई अपमानजनक परिस्थितियाँ अब और सहन करने योग्य नहीं मानी गईं, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अधिनियम अधिनियमित किया गया। हम इसके निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

18. उत्तरदाताओं की ओर से माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, विशेषतः ***निर्मल जीत कौर बनाम में एम. पी. राज्य और एक अन्य***

(2004) 7 एस. सी. सी. 558 वे उत्तरदाताओं के समर्थन में सहायक नहीं हैं, क्योंकि उक्त निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 438 और धारा 439 भिन्न-भिन्न क्षेत्राधिकार में संचालित होती हैं। संहिता के धारा 439 के तहत आवेदन करने के लिए व्यक्ति का हिरासत में होना अनिवार्य है, जबकि संहिता के धारा 438 उस व्यक्ति से संबंधित है जो गिरफ्तारी की आशंका रखता है और केवल इस आशय का आदेश प्रदान करती है कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार, उपर्युक्त निर्णय उत्तरदाताओं के मामले में कोई सहायक आधार प्रदान नहीं करता।

19. यह स्पष्ट है कि विद्वान दंडाधिकारी ने सावधानीपूर्वक शिकायत के साथ-साथ शिकायतकर्ता के बयान अध्ययन किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्तरदाताओं के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया है जिसे सत्र न्यायालय और यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी पुनरीक्षण में बरकरार रखा गया था। याचिका के संबंध में कि शिकायत दायर की गई। शिकायतकर्ता झूठा और दुर्भावनापूर्ण है और उत्तरदाता संख्या 1 के भाई द्वारा प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए, हमारा विचार है कि इसे संज्ञान लेने और प्रक्रिया के मुद्दे के स्तर पर नहीं देखा जा सकता है और किसी मामले के *दुर्भावनापूर्ण* या *सद्भावना* होने पर केवल मुकदमे के समय ही विचार किया जा सकता है।

20. छेड़छाड़ तथा अपमान की शिकार पीड़िता की स्थिति एक घायल साक्षी के समान होती है और उसके कथन को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सावधानीपूर्वक परीक्षण के उपरांत, विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने यह पाया है कि उत्तरदाताओं के विरुद्ध संज्ञान लेने हेतु *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi), जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला पर उसके सम्मान को ठेस पहुँचाने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आक्रमण या बल-प्रयोग किए जाने से संबंधित है, अपराध का एक गंभीर रूप है। धारा 3(1)(xi) और धारा 354 के मध्य मूलभूत अंतर यह है कि पीड़िता किस जाति या जनजाति से संबंधित है। यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, तो धारा 3(1)(xi) लागू होती है। दूसरा अंतर यह है कि धारा 3(1)(xi) में ऐसी पीड़िता के असम्मान को भी एक पृथक अपराध बनाया गया है।

21. उपर्युक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में तथा शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में वर्णित विशिष्ट कथनों के आलोक में, हमारा विचार है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 द्वारा संहिता की धारा 438 के उपयोग पर निषेध स्थापित किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना एक गम्भीर त्रुटि है। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.12.2014 के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

22. अपील की अनुमति है। उत्तरदाताओं को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण और नियमित जमानत की मांग करने के लिए आज से चार सप्ताह का समय दिया जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निष्कर्ष केवल इस याचिका के निपटारे तक ही सीमित है और विचारण न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।